न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी : – श्री विकास पंचोली (RAS) उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र संख्या :–129/2018 दायर तारीख 24.12.2018

अनवान

01. सुगनलाल पिता भंवरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी हरजीपुरा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)
02. मनोज पिता घासीलाल जाति जाटव उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा (राज0)

...........प्रार्थीगण

बनाम

01. बालु पिता टेका जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
02. डालचन्द पिता टेका जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
03. रमेश पिता टेका जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
04. नाथी पुत्री टेका पत्नि लादु जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया हाल मुकाम सवाईपुर तहसील कोटडी जिला भीलवाडा
05. मंजु पुत्री टेका पत्नि स्व0 शंकरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया हाल मुकाम जावदा तहसील बिजौलियां जिला भीलवाडा।
06. रतनी पत्नि टेका जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी सलावटिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
07. बरदीलाल पिता छीतरलाल जाति रेगर उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी रामनगर तहसील जहाजपुर जिला भीलवाडा
08. भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाडा।

..........................अप्रार्थीगण/विपक्षीगण

उपस्थित :– 1. श्री रामफूल धाकड अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री जगदीशचन्द्र धाकड अधिवक्ता प्रतिवादीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय **दिनांक :10.01.2019**

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध विपक्षीगण प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम गोपाल निवास पटवार हल्का सलावटिया में स्थित आराजी नं0 293/42 रकबा 4–18 बीघा है। जिस आने जाने के लिए 15 फिट चौडा रास्ता जो कि विपक्षीगण की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 1357/609, 1358/608 की पश्चिमी मेड में स्थित होकर बिलानाम आराजी संख्या 609 के पूर्वी मेड पर प्रवेश कर आगे बढते हुए प्रार्थी संख्या 01 की स्वयं की खातेदारी आराजी संख्य 315/42 उत्तर पूर्वी मेड पर होकर आराजी संख्या 314/42 के पूर्वी मेड पर प्रवेश कर आगे बढते हुये प्रार्थीगण की आराजी नं0 293/42 में पहुचता है। इसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण व उनके पूर्व खातेदार करते आ रहे है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि पर पहुचने का कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। इस रास्ते से प्रार्थीगण सजबेल टेक्टर आदि लेकर आते जाते है मौके पर वर्तमान में भी रास्ते के आलामात है विपक्षीगण की आराजी संख्या 1357/609, 1358/608, 609, 314/42 में उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही से प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात में आने जाने के लिये परेशानी का सामना करना पडता है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी आराजीयात पर काश्त करने के लिए आने जाने हेतु टेक्टर बैलगाडी ले जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है।

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां(भीलवाड़ा)

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

विपक्षीगण ने उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। विपक्षीगण को रास्ते हेतु कहां तो दिनांक 20.11.2018 को मना कर दिया। प्रार्थीगण को स्वयं की आराजी पर पहुंचन हेतु रास्ता राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराना फरमावे।

प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर विपक्षीगण की तलवी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज करवायी गई।

विपक्षीगण संख्या 01 से 07 की ओर से श्री जगदीशचन्द धाकड अधिवक्ता ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थन पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की चरण क्रम 1 से 5 में अंकित तथ्य स्वीकार है प्रार्थीगण की स्वामित्व की खातेदारी भूमि आराजी संख्या 293/42 रकबा 4–18 बीघा भूमि ग्राम गोपालनिवास पटवार हल्का सलावटिया में स्थित है। जिस पर आने जाने के लिए 12 फिट चौडा रास्ता जो कि जवाबदाता की खातेदारी में दर्ज भूमि आराजी संख्या 1357/609, 1358/608 में पश्चिमी मेड में स्थित होकर बिलानाम आराजी संख्या 609 के पूर्वी मेड पर प्रवेश कर आगे बढते हुए प्रार्थी संख्या 01 की स्वयं की खातेदारी आराजी संख्य 314/42 उत्तर पूर्वी कर दक्षिण दिशा की तरफ आगे बढता हुये प्रार्थीगण की आराजी नं0 293/42 में पहुचता है। इसका उपयोग उपभोग प्रार्थीगण व उनके पूर्व खातेदार करते आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाता है। तो विपक्षीगण 1 से 7 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। विपक्षी क्रमांक 8 वादग्रस्त इतल्ला गैर हाजिर रहने से एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये।

उक्त प्रकरण में विकल्प में रास्ता है या नही इस सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तहसील कार्यालय बिजौलियां से तलब की गई ।

तहसीलदार बिजौलियां ने अपने पत्रांक/राजस्व/2019/58 दिनांक 09.01.2019 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर अंकित किया ग्राम सलावटिया की आराजी संख्या 1357/609, 1358/608 किता 02 रकबा 3–14 बीघा खातेदार बालु, डालचन्द, रमेश, नाथी, मंजु पिता टेका, रतनी पत्नि टेका रेगर निवासी सलावटिया तथा आराजी संख्या 315/42 रकबा 1–00 बीघा खातेदार सुगनलाल पिता भंवरलाल जाति रेगर निवासी हरजीपुरा तथा आराजी संख्या 314/42 रकबा 2–05 बीघा खातेदार बरदीचन्द पिता छीतरलाल जाति रेगर निवासी रामनगर तहसील जहाजपुर के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड है तथा आराजी संख्या 609 रकबा 0–06 बीघा बिलानाम काबिल काश्त राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड है प्रार्थीगण सुगनलाल पिता भंवरलाल जाति रेगर निवासी हरजीपुरा व मनोज कुमार पिता घासीलाल जाति जाटव निवासी सलावटिया अपने स्वयं के आराजी संख्या 293/42 रकबा 4–18 बीघा ग्राम गोपाल निवास में स्थित भूमि में जाने के लिये उक्त आराजीयात मे से रास्ता दर्ज करवाना चाहते है जिस पर ग्राम सलावटिया में स्थित अप्रार्थीगणो के आराजी सख्या 1358/608 रकबा 1–06 बीघा मे से 0–02 बीघा व आराजी संख्या 1357/609 रकबा 2–08 बीघा मे से 0–04 बीघा किता 2 रकबा 0.06 बिस्वा तथा ग्राम सलावटिया की बिलानाम आराजी संख्या 609 रकबा 0–06 बीघा मे से 0–02 बीघा तथा ग्राम गोपालनिवास में स्थित आराजी संख्या 315/42 रकबा 1–00 बीघा मे से 0–03 बीघा तथा आराजी संख्या 314/42 रकबा 2–05 बीघा मे से 0–03 बीघा कुल किता 02 रकबा रकबा 0–06 बीघा भूमि रास्ते के लिए चिन्हित की गयी है। प्रार्थीगण वर्तमान में स्वयं के आराजी में आने जाने के लिए किसी अन्य की खातेदारी भूमि का प्रयोग करते है मौके पर आराजी संख्या 1358/608 में वर्तमान में चणा की फसल काश्त कर रखी है। तथा मौके पर अन्य आराजीयात खाली पडी हुई है। आराजी संख्या 293/42 रकबा 4–18 बीघा ग्राम गोपाल निवास में पहुचने के लिए वर्तमान में खातेदारी भूमियो मे से जाने के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही होकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही है। ग्राम सलावटिया की आराजी संख्या 1358/608 रकबा 106 मे से 0–02 बीघा एवं आराजी संख्या 1357/609 रकबा 2–08 बीघा मे से 0–04 बीघा भूमि वर्तमान डीएलसी दर 622368/– रूपये प्रति बीघा से रास्ते की भूमि की मालियात 186708/– रूपये है की दुगुनी 373416/– रूपये बनती है। तथा बिलानाम आराजी संख्या 609 रकबा 0–06 बीघा मे से 0–02 बीघा भूमि की डीएलसी 461010/– रूपये से रास्ते की भूमि मालियात 46102/– रूपये से दुगुनी 92204/– रूपये बनती है। ग्राम गोपालनिवास की आराजी संख्या 315/42 रकबा 1–00 बीघा मेसे 0–03 वीघा एवं आराजी संख्या 314/42 रकबा 2–05 बीघा मे से 0–03 बीघा भूमि की वर्तमान डीएलसी 38480/– प्रति बीघा से रास्ते की भूमि की मालियत 11544/– रूपये है की दुगुनी 23088/– रूपये वनती है।

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रेकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाना चाहते है। तथा उसकी नियमानुसार डीएलसी दर से राशि जमा करवाने के लिए तैयार है।

विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस के दौरान प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों का विस्तार से जिक्र करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता दर्ज करने की मांग की हैं। विपक्षीगण ने भी इकबाली जवाब प्रस्तुत कर रास्ता दिये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना अंकित किया हैं।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया।

चूकि तहसीलदार बिजौलियां से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण को स्वयं की आराजी पर पहुचने के लिये राजस्व रेकार्ड में कोई रास्ता अभिलिखित नही है। तथा विकल्प में कोई रास्ता भी मौजूद नही है। प्रार्थीगण ने राजकोष में जमा होने वाली राशि के लिये अपनी सहमति दी है।

अतः प्रस्तुत प्रार्थना अन्तर्गत अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को स्वयं के खाते भूमि पर पहुचने के लिये ग्राम सलावटिया स्थित आराजी संख्या 1358/608 रकबा 1.06 मे से 28X4= 112 वर्ग मीटर (0–02) बीघा एवं आराजी संख्या 1357/609 रकबा 2–08 बीघा मे से 64X4= 256 वर्ग मीटर 0–04 बीघा भूमि वर्तमान डीएलसी दर 622368/– रूपये प्रति बीघा से रास्ते की भूमि की मालियात 186708/– रूपये है की दुगुनी 373416/– रूपये बनती है। तथा बिलानाम आराजी संख्या 609 रकबा 0–06 बीघा मे से 22X4= 88 वर्ग मीटर 0–02 बीघा भूमि की डीएलसी 461010/– रूपये से रास्ते की भूमि मालियात 46102/– रूपये से दुगुनी 92204/– रूपये एवं ग्राम गोपालनिवास की आराजी संख्या 315/42 रकबा 1–00 बीघा मे से 42X4= 168 वर्ग मीटर 0–03 बीघा एवं आराजी संख्या 314/42 रकबा 2–05 बीघा मे से 56X4= 224 वर्ग मीटर 0–03 बीघा भूमि की वर्तमान डीएलसी 38480/– प्रति बीघा से रास्ते की भूमि की मालियत 11544/– रूपये है की दुगुनी 23088/– रूपये बनती है। उक्तानुसार राशि विपक्षीगणों को भुगतान किये जाने के आदेश दिये जाते है। राशि प्राप्त नही करने की दशा में राजकोष में जमा करावें। बिलानाम भूमि की राशि राजकोष में जमा करवायी जाने के उपरान्त रास्ता राजस्व अभिलेखों में दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार बिजौलिया को पालना प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 10.01.2019 को लिखाया जाकर विवृत न्यायालय मे सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ

Scanned by CamScanner